संक्षिप्त समाचार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पावटा में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसों का निरीक्षण किया

सीमा सन्देश संवाददाता

पावटा। कस्बे एनएच 48 पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विशेष अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली की सचिव नीलम मीणा के नेतृत्व में जिला परिवहन अधिकारी सुनील कुमार सैनी एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा बसों का निरीक्षण किया गया।सचिव नीलम मीणा ने निरीक्षण के दौरान बसों के आवश्यक दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, यात्रियों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं तथा यातायात नियमों के पालन की जांच की गई। साथ ही बस चालको एवं परिचालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया गया सचिव मीणा ने 3 बसों का निरीक्षण किया गया एवं 3 बसों का यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पाए पर चालान किया गया एवं एक बस को अनधिकृत परिवर्तन पाए जाने पर सीज किया गया।

आनंदम संस्था टोंक के डॉ. प्रभु बाडोलिया बने अध्यक्ष

श्री गणेश महोत्सव-2026 के भव्य आयोजन में सारथी बनने का मिला मोका

बैठक में सर्व सम्मति से लिया फैसला

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। पिछले 30 सालों से श्री अन्नपूर्णा गणेश मंदिर टोंक में श्री गणेश महोत्सव का आयोजन करती आ रही श्री आनंदम संस्था टोंक के अध्यक्ष पद पर डॉ. प्रभु बाडोलिया को सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। श्री आनंदम संस्था टोंक की कल शाम हुई बैठक में संस्था से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यो ने श्री गणेश महोत्सव 2026 के संबंध में चर्चा उपरान्त आपसी सहमति से डॉ. बाडोलिया को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्हे साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया।समाजसेवी व जिलाध्यक्ष भाजपा चन्द्रवीर सिंह चौहान, विष्णु शर्मा, रामकिशन यादव, बी. एल. वर्मा, राजाराम यादव, मोतीलाल पहाडि?ा, सत्यनारायण सैनी, राजेश मुमिया, शैतान सैनी, रवि प्रकाश शर्मा, रामचरण साहू, गंगाधर यादव, जितेन्द्र धीवर सहित संस्था से जुडे कई लोगो ने बाड़ोलिया के चयन पर खुशी जताते हुये श्री गणेश महोत्सव २०२६ के और भी भव्य तरीके से आयोजन सम्पन्न होने की उम्मीद जताई है। उल्लेखनीय रहे कि समाज सेवा से जुड़े बाड़ोलिया भाजपा के जिला महामंत्री होने के साथ ही वर्तमान में बसीठा समाज के प्रदेशाध्यक्ष भी है।

पर्यावरण संरक्षण सहित सामाजिक सरोकार के काम में जुटी एसीबी

ड़ारड़ा हिन्द में पौधारोपण कर कार्मिको ने दिया हरित राजस्थान का संदेश

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। अपने स्थापना दिवस के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रदेश भर में सामाजिक सरोकार सहित प्रर्यावरण सरंक्षण एंव आमजन में भ्रष्ट्राचार के खिलाफ जनजागरण अभियान संचालित कर लोगो को जागरूक करने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के निदेर्शानुसार टोंक एसीबी के अति. पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नैत्तृव में एसीबी चौकी टोंक के स्टाफ द्वारा गुरूवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डारडा हिन्द के खेल ग्राउंड में सघन वृक्षारोपण कर उनकी सार-सम्हाल एंव प्रर्यावरण सरंक्षण का संकल्प लिया। इस मोके पर विधालय स्टाफ सहित ग्रामीण मौजुद रहे।

महादेवाली से बैकुंठधाम तक आम रास्ते में अतिक्रमण से लोगो में आक्रोश

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही को लेकर सोंपा ज्ञापन

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। महादेवाली गौतम छात्रावास से बैकुंठ धाम तक आम रास्ते में खेतो के रास्ते अतिक्रमण के विरोध में गुरुवार को वार्डवासियों ने जिला कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही की मांग की है। वार्ड से पहुंची महिलाओं एवं पुरुषों ने नगर परिषद टोंक के खिलाफ नारेबाजी के बाद जिला कलक्टर टोंक के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि गौतम छात्रावास से बैकुंठधाम बहीर शमशान तक करीबन एक किलोमीटर तक आम रास्ता है। जहा कुछेक प्रभावशाली लोगों ने इस रास्ते में अतिक्रमण किए हुए है। वार्डवासियों ने बताया कि आम रास्ते में अतिक्रमण से रास्ता सकडा हो गया। जिससे आने-जाने वाले राहगीरों सहित वार्डवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि एक दुपहिया से दूसरा वाहन भी नहीं निकल पाता है। ज्ञापन में इस रास्ते का सीमा ज्ञान करा करके अतिक्रमण हटवाया जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों में शंकर लाल सैनी, मांगीलाल, अमर चंद, छोटूलाल, मोहन लाल सैनी, रतनलाल सैनी, हेमलता सैनी, दीपिका, गुड्डी, बीना सैनी, गीता आदि शामिल रहे।

प्राचीन लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में चोरी से सनसनी

मंदिर के साथ पुजारी के भाई का सूना मकान भी बनाया निशाना

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी जांच में

सीमा सन्देश संवाददाता

पावटा। क्षेत्र में बुधवार तड़के अज्ञात चोरों ने एक ही रात में धार्मिक स्थल और आवासीय मकान को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। पावटा घंटाघर से मोक्षधाम मार्ग पर स्थित प्राचीन भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के परिसर में चोरों ने घुसकर करीब आधा दर्जन कमरों के ताले तोड़ दिए और सामान को बिखेरते हुए नकदी व कीमती वस्तुओं की तलाश की। इसके बाद चोरों ने मंदिर के पुजारी के बड़े भाई के सूने मकान में भी सेंध लगाकर नकदी, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तथा अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के पुजारी अमित शर्मा ने बताया कि वे प्रतिदिन की तरह सुबह करीब चार बजे मंगला आरती के लिए मंदिर पहुंचे तो परिसर के कई कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि पुलिस सूचना मिलने के कुछ घंटे बाद मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसी दौरान पुजारी अमित शर्मा ने दिल्ली में रहने वाले अपने बड़े भाई संतोष शर्मा को फोन कर उनके मकान की जानकारी लेने को कहा। सुबह जब मकान की जांच की गई तो वहां भी ताले टूटे मिले और घर से नकदी, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित अन्य सामान चोरी होना सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों स्थानों का मौका-मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। एक ही रात में मंदिर और पुजारी के परिवार के मकान में हुई चोरी की वारदात से क्षेत्र में दहशत और रोष का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शीघ्र खुलासा करने तथा नगर क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। एआईसीसी महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी तथा टोंक विधायक सचिन पायलट 17 जुलाई शुक्रवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी टोंक द्वारा दोपहर 2.15 बजे सोहेला स्थित एक होटल पर पायलट का स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सऊद सईदी ने अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेसियों से पहुचने का आग्रह किया है।

ईएमटी और पायलट की सूझबूझ से चलती 108 एंबुलेंस में सुरक्षित प्रसव

जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित, प्रसव उपरांत सीएचसी पीपलू में इलाज एवं देखभाल जारी

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। जिले के पीपलू तहसील क्षेत्र में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की तत्परता साथ ही सूझबूझ से एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव एंबुलेंस में ही कराया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 108 एंबुलेंस सेवा को ग्राम गुडारामदास से प्रसव पीड़ा की इत्तला मिली थी जिसके बाद गुन्सी में तैनात 108 एंबुलेंस को तत्काल कॉल करके ग्राम गुड़ा रामदास के लिए रवाना किया गया। जिस दौरान एंबुलेंस में तैनात ईएमटी राहुल सैनी एवं पायलट मोहम्मद जमील ने ग्राम गुंडारामदास पहुंच करके गर्भवती बुद्धा देवी पत्नी लखन मोगिया(25) को प्राथमिक देखभाल उपलब्ध कराकर सामुदायिक चिकित्सालय पीपलू के लिए रवाना किया। जिस दौरान रास्ते में ही बनवाड़ा के समीप सुबह करीब 11.10 बजे महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईएमटी राहुल सैनी ने तत्काल एंबुलेंस को सुरक्षित स्थान पर रुकवाया और आवश्यक चिकित्सकीय सावधानियों के साथ एंबुलेंस में ही सफलतापूर्वक प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ पाए है । तत्पश्चात दोनों को सामुदायिक चिकित्सालय पीपलू में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज एवं देखभाल जारी है।

पावटा अभिभाषक संघ द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों, भामाशाहों और समाजसेवियों का हुआ अभिनंदन

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। उपखंड में पदस्थापित नए अधिकारियों के स्वागत एवं स्थानांतरित अधिकारियों की विदाई के अवसर पर पावटा अभिभाषक संघ की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट रामनिवास यादव के नेतृत्व में हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। समारोह में लंबे समय तक पावटा में नायब तहसीलदार के रूप में सेवाएं देने वाले संजय कुमार खेदड़ के तहसीलदार पद पर पदोन्नत होकर विराटनगर स्थानांतरण पर उनका अभिनंदन करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। वहीं तहसील कार्यालय पावटा से जिला निर्वाचन कार्यालय, कोटपूतली-बहरोड़ स्थानांतरित हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद सैनी तथा उपखंड कार्यालय पावटा से विराटनगर स्थानांतरित हुए वरिष्ठ सहायक रामनिवास यादव को साफा पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इसी अवसर पर उपखंड अधिकारी कार्यालय विराटनगर से पावटा पदस्थापित वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र कुमार बराला तथा तहसीलदार कार्यालय विराटनगर से पावटा आए वरिष्ठ सहायक कुलदीप मीणा का माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि नवपदस्थापित अधिकारी अपनी कार्यकुशलता से आमजन को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तहसील परिसर में आमजन एवं परिवादियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक वाटर कूलर उपलब्ध कराने पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव का सम्मान किया। उन्हें बुके एवं दुपट्टा भेंट कर जनहित में किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष एड. राजेश कुमार यादव, सचिव एड. सुरेन्द्र सिंह शेखावत, कोषाध्यक्ष एड. मुकेश यादव, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी, एड. ज्योती शर्मा, एड. ज्योती योगी, एड. निर्मल कुमार मौर्य, अशोक गुर्जर, नरेश यादव, उपवन सैनी, लोकेश शर्मा, बीएल आर्य, राजेन्द्र चौधरी, कमलकांत शर्मा, धर्मपाल यादव, मेहरसिंह चौधरी, दिलीप सिंह शेखावत, गौरव शर्मा, हजारीलाल यादव, मुकेश स्वामी, रामकिशन वर्मा, किशोरी लाल यादव, विष्णु शर्मा, बीएल सेठिया, मुकेश सैनी, छाजूराम स्वामी, पंकज यादव, रिंकू गुर्जर, सीताराम सैनी, दिपक गोयल, राहुल बंसल, हीरालाल रावत, रामप्रताप यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शिक्षा विभाग के 1550 कार्मिकों की सर्विस बुकें तलब, वेतन निर्धारणों की जांच जारी

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। टोंक ब्लॉक में कार्यरत शिक्षा विभाग के 1550 कार्मिकों के समय-समय पर किए गए वेतन निर्धारणों की पुनः जांच की जा रही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीला जैन ने बताया कि विभाग के अधीन कार्यरत 1550 कार्मिकों की सर्विस बुकें गहन जांच हेतु तलब की गई हैं। जांच कार्य हेतु कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें संस्थापन शाखा के प्रशासनिक अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा, मोहम्मद कामिल, लेखा शाखा के कनिष्ठ लेखाकार सागर विजय, निखिल विजय, भंवर सिंह सोलंकी व मतीन अंसारी को शामिल किया है। जांच कार्य वित्त विभाग के नियमों के अनुरूप किया जाएगा। समस्त कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतनमानों, पदौन्नतिए चयनित वेतनमानों, एसीपी, एमएसीपी प्रकरणों में किए गए वेतन निर्धारणों का मिलान कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों से किया जा रहा है। जांच में अधिक भुगतान पाए जाने पर उनसे नियमानुसार वसूली की जाएगी।

अशोक गांधी विजयवर्गीय समाज टोंक प्रदेश के जनगणना संयोजक नियुक्त

स्थानीय सभाओं में समाज के जनगणना एवं सदस्यता अभियान पर रखेंगे नजर

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। अखिल भारतीय विजयवर्गीय (वैश्य) महासभा टोंक प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष बलदेव विजयवर्गीय पीपलू ने संगठन की जनगणना एवं सदस्यता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से अशोक गांधी को टोंक प्रदेश का जनगणना संयोजक नियुक्त किया है। गांधी टोंक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों की सभी स्थानीय सभाओं में चल रहे विजयवर्गीय समाज के जनगणना एवं सदस्यता अभियान का समन्वय करेंगे। जनगणना टोंक में रमेश मुल्तानी, देवली दुर्गा लाल ताखोली, टोडारायसिंह में रमेश बासेडा, मालपुरा में रामावतार कापड़ी, पीपलू में बद्री लाल, निवाई में रामदयाल विजय, गंगापुर सिटी में कमलेश विजयवर्गीय, हिंडौन-करौली में सुरेंद्र विजय, सवाई माधोपुर में राधेश्याम विजयवर्गीय, खंडार में किशन विजय, दूनी तहसील की कमलेश सरदारपुरा एवं स्थानीय कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा की जाएगी। महामंत्री कमलेश लवादर ने सभी स्थानीय सभा पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं से अपील की है कि वे जनगणना अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि समाज का अद्यतन एवं सटीक डाटा तैयार कर पारिवारिक निर्दर्शिका प्रकाशित की जा सके।

दिव्यांग पिता की बेटी आरूषी शर्मा का नवोदय विद्यालय में चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। प्रागपुरा कस्बे की होनहार छात्रा आरूषी शर्मा ने प्रस्तुत किया है। पीएम श्री महात्मा गांधी विद्यालय, प्रागपुरा में अध्ययनरत कक्षा 11 (जीव विज्ञान वर्ग) की छात्रा आरूषी शर्मा का चयन पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पावटा में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए होने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। चन्द्रशेखर शर्मा दिव्यांग हैं, जबकि माता अमिता शर्मा गृहिणी हैं। आर्थिक रूप से बेहद साधारण परिवार से आने वाली आरूषी ने विपरीत परिस्थितियों के बीच अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। इसी मेरिट सूची में आरूषी शर्मा ने स्थान बनाकर प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश का गौरव प्राप्त किया। शिक्षकों ने बताया कि आरूषी शुरू से ही मेधावी, अनुशासित और मेहनती छात्रा रही हैं। विद्यालय परिवार ने उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन - U65923MH2013PLC248741 रजि. कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025, सीएसः 8291889898 वेबसाइटः www.motilaloswalhf.com, ईमेलः hfquery@motilaloswal.com

सार्वजनिक सूचना

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड ('एमओएचएफएल') (जिसे पहले 'एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) एतद्द्वारा ऋणधारकों जिनका नाम **गोपाल लाल यादव और सेडी यादव है** (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'ऋणधारकों' कहा गया है), **लोन खाता संख्या LXMOJAIP5524-250780990** को उक्त सुरक्षित संपत्ति जो कि 'यहाँ स्थित संपत्ति के सभी खण्ड व हिस्से, **('ग्राम-लक्ष्मीनारायणपुरा, बधारना रोड, दिल्ली हाईवे के पास, जयपुर, जयपुर राजस्थान-302013 पर स्कीम श्रीश्याम कुंज सरोवर -1 प्लाट संख्या 135 की सम्पत्ति के समस्त खंड व हिस्से, अधिमापन 83.33 स्क्वेयर यार्ड्स)** से 7 दिनों की अवधि के भीतर अपना व्यक्तिगत सामान/वस्तुएँ हटाने के लिए नोटिस देता है, जिसका भौतिक कब्जा सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के उचित अनुपालन में **एमओएचएफएल** के पास है। ऋणधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि यदि ऋणधारक निर्धारित 7 दिनों की समय अवधि के भीतर उक्त सुरक्षित संपत्ति से अपना व्यक्तिगत सामान/वस्तुएँ हटाने में विफल रहते हैं, तो एमओएचएफएल कानून के अनुसार उक्त व्यक्तिगत सामान/वस्तुओं का निपटान करने के लिए पूरी तरह से हकदार और अपने अधिकार के भीतर होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक नीलामी आयोजित करना या ऐसी संपत्ति खरीदने में रुचि रखने वाले पक्षों से कोटेशन (मूल्य-प्रस्ताव) प्राप्त करना शामिल है।

दिनांक: 17.07.2026 **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान: राजस्थान हस्ता/-
अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय पता : बी-17, चौथा तल, आर्ट गिल्ड हाउस, फोनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला(पश्चिम), मुंबई-400070

डिमांड नोटिस

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002(''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(2) के सहपठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी कर इन नोटिसों को प्राप्त करने की तिथि से **60 दिवस** के भीतर इन ऋणधारक(ों) को नोटिसों में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऋणधारक डिमांड नोटिस(ों) को तामील करने से बच रहे हैं, इसलिए ये नोटिस नियमानुसार चस्पा और प्रकाशित कर तामील करवाए जा रहे हैं। डिमांड नोटिसों के तथ्यों का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	ऋणधारक(ों) का नाम	डिमांड नोटिस तिथि और राशि
1	1)भेरूनाथ किराना एवं जनरल स्टोर 2)कैलाश चंद्र कुम्हार 3)अनीता प्रजापत एलएएन- वत्र्इ्लहटर0000083516	डिमांड नोटिस तिथि: 08 जुलाई 2026 06.07.2026 के अनुसार नोटिस राशि : रु. 22,89,643.00/- (रु. बाईस लाख नवासी हजार छह सौ तिरालीस मात्र)

सुरक्षित आस्ति(यों) का विवरण:- अचल सम्पत्ति के पट्टा संख्या 46 ग्राम पंचायत सेथुरिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा राजस्थान. स्थित की अचल संपति के सभी खण्ड व हिस्से। अधिमापन 1214.2. वर्ग फीट और इसकी सीमा हैः उत्तरः प्यार चंद / उदल राम, दक्षिणः आम रास्ता, पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः शिवराज / ईश्वर का मकान।

ऋणधारक(ों) को यहां सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस(ों) की पालना करें और इनमें तथा ऊपर उल्लेखित मांग का भुगतान इस प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, देर से भुगतान जुर्माना, बाउंस प्रभार, लागत और व्यय आदि सहित अदा करें। ऋणधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणधारक(ों) द्वारा ली गई ऋण सुविधा उन अचल सम्पत्ति/यों के विरुद्ध सुरक्षित बकाया है जिसे **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड सहित** ऋणधारक(ों) द्वारा सुरक्षित आस्ति(यों) के रूप में बंधक रखा गया।

ऋणधारक दिये गये समय में अपनी देनदारी से पूर्णतः मुक्त होने में असफल होते हैं तो **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित आस्तियों का कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा, जो ऋणधारक(ों) के ऋण खाता में बकाया राशि की वसूली के लिए बिक्री के माध्यम से इनके हस्तांतरण या अधिनियम व नियमों में दी गई अन्य अतिरिक्त चाराजोई को प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं होगी। **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** विक्रय या हस्तांतरण के अधिकार के प्रयोग से पहले सुरक्षित आस्तियों को **अटेच और/या सील** करने में भी सक्षम है। बंधक सम्पत्तियों के मूल्य से सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि की पर्याप्त पूर्ति न होने के मामले में सुरक्षित आस्ति(यों) के विक्रय की निरंतरता में सुरक्षित लेनदार शेष बकाया की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही का अधिकार भी रखती है। यह चाराजोई अन्य किसी भी कानून में **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त व स्वतन्त्र होगी। ऋणधारक(ों) को सावचेत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार उपलब्ध समय में वे सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित हैं और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार ऋणधारक(ों) को **यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड** से पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित आस्तियों के निस्तारण या इनके साथ कोई सौदा करने या विक्रय, लीज या अन्य (सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से) रास्ते से सुरक्षित आस्तियों के हस्तांतरण से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है और उक्त की पालना न किया जाना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और ऋणधारक यदि, इसकी आवश्यकता महसूस करें तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : राजस्थान हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी)
तिथि : 17.07.2026 कृते यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : छठी मंज़िल, बी बिल्डिंग, गंगा टूएनो, लोहेगाँव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा कार्यालय यूनिटः तीसरी मंज़िल, बालाजी टॉवर, प्लॉट नंबर 81, एनईबी, सुभाष नगर, अलवर - 301001

ई-नीलामी- बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** और (इसके बाद अधिनियम के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम के नियम 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है' के आधार पर 18.08.2026 को बेची जाएंगी। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित राशि (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
1.	ऋण संख्या HL0066600000000 5016001 गुरमीत सिंह (ऋणधारक) हरबंश कौर (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांकः 09.04.2025 कुल बकायाः रु. 6,55,164/- (रुपये छह लाख पचपन हजार एक सौ चौंसठ मात्र) 09.04.2025 के अनुसार देय व इस पर भुगतान तक 13.85 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	पट्टा नंबर 25, बुक नंबर 09, गाँव- मुबारिकपुर, ग्राम पंचायत- मुबारिकपुर, तहसील- रामगढ़, जिला- अलवर (राज.) स्थित सम्पत्ति के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन 173.33 वर्ग यार्ड। (इसके बाद उक्त सम्पत्ति के रूप में संदर्भित) प्लॉट की चार सीमाएँः- उत्तरः सड़क/निकास, दक्षिणः कुलवंत सिंह का घर, पूर्वः सुरपेट सिंह का घर, पश्चिमः सड़क/निकास।	रु.888300/- (रुपये आठ लाख अठासी हजार तीन सौ मात्र)	रु. 88830/-(रुपये अठासी हजार आठ सौ तीस मात्र)	17.08.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	10.08.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	18.08.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल
2	ऋण संख्या HL0072520000000 50 59000 नरसिंह राम (ऋणधारक) परमुडी (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांकः 09.01.2026 कुल बकायाः रु. 914697/- (रुपये नौ लाख चौदह हजार छह सौ सतावन मात्र) 19.01.2026 के अनुसार देय व इस पर भुगतान तक 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	खसरा नंबर 183/1 एवं 204/1, प्लॉट नंबर 6, गाँव- दाइकड़ा, तहसील एवं जिला- जोधपुर 342027स्थित आवासीय सम्पत्ति के समस्त खण्ड व हिस्से, प्लॉट की चार सीमाएँः- उत्तरः विक्रेता की बची हुई जमीन, दक्षिणः श्री मान सिंह के बेटों की कृषि भूमि, पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः श्री खेता राम साद की कृषि भूमि।	रु. 1083644/- (रुपये दस लाख तिरासी हजार छह सौ चौमालीस मात्र)	रु. 108364.40/- (रुपये एक लाख आठ हजार तीन सौ चौंसठ मात्र)	17.08.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	10.08.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	18.08.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल
3	ऋण संख्या LAP009820000000 5022158 पृथ्वी राज (ऋणधारक) नीटू (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांकः 11.12.2025 कुल बकायाः रु. 15,89,502/- (रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार पांच सौ दो मात्र) 11.12.2025 के अनुसार देय व इस पर भुगतान तक 15.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	देव डूंगरी, हरिजन बस्ती, मदनगंज, तहसील- किशनगढ़, जिला- अजमेर स्थित सम्पत्ति आवासीय प्लॉट के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन 91.06 वर्ग यार्ड। प्लॉट की चार सीमाएँः- उत्तरः 6.6 फीट चौड़ी गली, दक्षिणः श्री भंवर पुत्र श्री चोथू का घर, पूर्वः श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश का घर, पश्चिमः 12.6 फीट चौड़ी सड़क।	रु. 1751383/- (रुपये सतरह लाख इक्यावन हजार तीन सौ तिरासी मात्र)	रु. 175138.30/- (रुपये एक लाख पिचहत्तर हजार एक सौ अड़तीस व पैसे तीस मात्र)	17.08.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	10.08.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	18.08.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल
4	ऋण संख्या LAP0666 200000005045804 रघुवीर रघुवीर (ऋणधारक) शिला शिला (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांकः 10.09.2026 कुल बकायाः रु. 868209/- (रुपये आठ लाख अड़सठ हजार दो सौ नौ मात्र) 09.01.2026 के अनुसार देय व इस पर भुगतान तक 19.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।	भौतिक	खसरा नंबर 406, गाँव- गुलमानी, तहसील- नगर, जिला- भरतपुर स्थित सम्पत्ति के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन 802 वर्ग गज। प्लॉट की चार सीमाएँः- उत्तरः डोनर की जमीन, दक्षिणः आम रास्ता, पूर्वः डोनर की जमीन, पश्चिमः दाताराम की जमीन।	रु. 1356469.00/- (रुपये तेरह लाख छप्पन हजार चार सौ उनहत्तर मात्र)	रु. 135646.90/- (रुपये एक लाख पैंतीस हजार छह सौ छियालीस व पैसे नब्बे मात्र)	17.08.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	10.08.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	18.08.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्क, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति करों, बिजली/पानी का बकाया और संपत्ति से जुड़ा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **पता- प्लॉट नंबर-68 तृतीय तल गुड़गांव हरियाणा-122003. हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com संपर्क -व्यक्ति धारनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1inida.com संपर्क नंबर- 9948182222** से अग्रिम रूप से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर-411014 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के नीलामी आय खाता **बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915** के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है, **कॉलम (जी) में उल्लेखित** को या उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 17.08.2026 को या इससे पूर्व पर आहरित किया और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए **यहां पता -पताः तीसरी मंज़िल, बालाजी टॉवर, प्लॉट नंबर 81, एनईबी, सुभाष नगर, अलवर - 301001 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई-मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com** को ई-मेल व स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता है। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तों के अधिक विवरण के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com या **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

यह सूचना ऋणधारक/सह-ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं) जमानतदार(ों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम - 2002 के के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों के नोटिस के रूप में भी ली जाये।

किसी भी स्थिति में, अगर स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी अखबार के प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर होता है, तो 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित अंग्रेजी अखबार की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांकः 17.07.2026, स्थानः राजस्थान हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड